



2026:AHC:124598

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19069/2026

हरिशंकर यादव

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता	:	अमित कुमार सिंह, काउंटेय सिंह
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अमित कुमार दुबे को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत याचिका मामला अपराध संख्या 09/2026, धारा 85, 80(2) बीएनएस और 3/4 दहेज निषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन मेल, जिला देवरिया में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक मृतक का चचिया ससुर है और एफआईआर के अनुसार, आवेदक ने ही प्रथम सूचनादाता को मृतक की मृत्यु की सूचना दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक पर दहेज की मांग से संबंधित केवल अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं, एफआईआर में किसी भी वस्तु का उल्लेख नहीं है और एफआईआर पांच दिन की देरी से दर्ज की गई है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है और आंतरिक अंगों को

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुरक्षित रखा गया है। एफएसएल द्वारा प्रस्तुत आंतरिक अंगों की रिपोर्ट में एल्युमिनियम फॉस्फाइड जहर पाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आवेदक 7.4.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके। हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक का नाम एफआईआर में है और मृतक की विसरा रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर में एल्युमिनियम फॉस्फाइड जहर पाया गया है।
5. पांच दिन की देरी के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर के अनुसार, आरोपी और दो अन्य सह-आरोपियों पर दहेज की मांग के सिलसिले में प्रथम शिकायतकर्ता की बेटी को प्रताड़ित करने और परेशान करने का आरोप है। आरोपी मृतक का चंचिया ससुर बताया जा रहा है और एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने ही प्रथम शिकायतकर्ता को मृतक की मृत्यु की सूचना दी थी। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई है और आंतरिक अंगों को सुरक्षित रखा गया है। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर में एल्यूमीनियम फॉस्फाइड जहर पाया गया है। दहेज की मांग के संबंध में आरोपी पर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं और एफआईआर में किसी भी वस्तु या सामान का उल्लेख नहीं किया गया है। आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है और आरोपी 7.4.2026 से जेल में बंद है।
6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
7. अतः, वर्तमान आवेदन को **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक हरिशंकर यादव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- (iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. इसके अलावा यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो जमानत देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश **पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, इन री: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णय लिया गया, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ, के अनुपालन में हो,**

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

2 जून, 2026

अभिषेक

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।